न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम, अलवर
पीठासीन अधिकारी – रविन्द्र कुमार शर्मा (आर.ए.एस.)

दावा संख्या	दावा दायर दिनांक	प्रार्थना पत्र निर्णय दिनांक 28.10.13
123/2011	01.07.2011	

उनवान

1 रतीराम पुत्र मामचंद जाति चमार निवासी गुरगचका तहसील कोटकासिम जिला अलवर (राज)

–वादी

बनाम

1 हेतराम पुत्र श्री श्योनारायण जाति चमार निवासी ग्राम ताल पोस्ट हरसौरा तहसील बानसुर जिला अलवर (राज.) (फौत)

(1/1) हुकमचंद पुत्र श्री हेतराम जाति चमार निवासी ग्राम ताल पोस्ट हरसौरा तहसील बानसुर जिला अलवर (राज.)

2 नन्दराम पुत्र श्री बिडदीचंद जाति खटीक निवासी हरसौली तहसील कोटकासिम जिला अलवर (राज.)

3 रामकंवार

4 देवीसहाय

5 गिर्राज पुत्रान श्री पालाराम कौम गुर्जर निवासी ग्राम सालखर तहसील कोटकासिम जिला अलवर (राज.)

6 भुमिधारी तहसीलदार साहब कोटकासिम जिला अलवर (राज.)

–प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 22 नियम 4
व सपठित धारा 151 जा.दी.

उपस्थित

1 श्री आनंदराव – अभिभाषक प्रार्थी/ वादी

2 श्री रामफल – अभिभाषक अप्रार्थी/ प्रतिवादी

आदेश

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 व सपठित धारा 151 जा.दी. इस आशय का पेश किया कि प्रतिवादी संख्या 1 हेतराम फौत हो चुका है जिसकी दरख्वास्त मिन

Scanned by CamScanner

...2012 को पेश की थी। जिस दरख्वास्त मे प्रतिवादी संख्या 1 ...
... श्री हेतराम को ही दर्ज वारिस किया था, क्योंकि उस वक्त मिन प्रार्थी की ... मे प्रतिवादी संख्या 1 का वारिस सिर्फ हुकमचंद ही था, अब महनता से जानकारी की तो पता चला कि प्रतिवादी संख्या 1 के जायज व विधिक वारिसान हुकमचंद के अलावा निम्न है– कृष्णा, मंजु, राजबाला पुत्रीयान हेतराम, रेवती पत्नी हेतराम जाति मेघवाल ग्राम पोस्ट हरसौरा तहसील बानसुर। प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 के उपरोक्त वारिसान को रिकॉर्ड पर लिये जाने की आज्ञा पारित की जावे एवं संशोधित टाईटल पारित करने की अनुमति दी जावे।

विद्वान अभिभाषको की बहस सुनी गयी। अभिभाषक प्रार्थी ने बताया कि पक्षकार बहुत दूर रहते है इसकी मिन प्रार्थी को जानकारी नही थी। अतः न्यायहित मे प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने जवाब एवं बहस में बताया कि इन्होने पहले एक अन्य प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 प्रस्तुत कर हुकमचंद को हेतराम का एकमात्र वारिस बताया था जबकि इनको अन्य वारिसो की जानकारी थी। अपने प्रार्थना पत्र के साथ इन्होने शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया था यह मान भी लिया जाये कि पुत्रीयो का नाम गलती से रह गया था तब भी पत्नी का नाम तो पहले वाले प्रार्थना पत्र मे आना चाहिए था। अतः इनका प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

विद्वान अभिभाषको की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अध्ययन किया गया। मेरी राय मे निश्चित तौर पर प्रार्थी को पहले वाले प्रार्थना पत्र मे हेतराम के वारिसो की समुचित एवं सुस्पष्ट जानकारी कर उनका नाम अंकित करना चाहिए था, परंतु प्रार्थी ने ऐसा नही किया, परंतु न्यायहित मे हेतराम के समस्त वारिसान को रिकॉर्ड पर लिया जाना उचित एवं न्यायाहित मे है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 ,1000 रूपए कोस्ट पर स्वीकार किया जाता है। प्रार्थना पत्र नम्बर शुमार कम होकर शामिल पत्रावली किया जाये।

निर्णय आज दिनांक 28.10.13 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

Scanned by CamScanner